झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2008

सत्यमेव जयते

2008

झारखंड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2008

विषय–सूची ।

खण्ड–1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–13, 2002 में संशोधन।
3. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–13, 2002 में संशोधन।

झारखंड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2008

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 04, 2001 का संशोधन करने के लिए विधेयक –

भारत गणराज्य के 59वाँ वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः–

   (i). यह अधिनियम झारखंड के मंत्रियों के वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा।

   (ii). इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (iii). यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–13, 2002 में संशोधन– झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 2001 की धारा–3 यथा संशोधित, 2002 में प्रयुक्त शब्द मुख्यमंत्री को प्रतिमाह अंक एवं शब्द 5500/–(पांच हजार पांच सौ) रुपये के स्थान पर 10,500/–(दस हजार पांच सौ) रुपये तथा प्रत्येक मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री को अंक एवं शब्द 5000/–(पांच हजार) रुपये के स्थान पर अंक एवं शब्द 10,000/–(दस हजार) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–13, 2002 में संशोधन– मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 2001 की धारा–8 यथा संशोधित 2002 में निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है –

   सत्कार भत्ता

   (i) मुख्यमंत्री – 8,000/–रु0 के स्थान पर 15,000/–रुपये

   (ii) मंत्री/राज्यमंत्री – 5,000/–रु0 के स्थान पर 12,000/– रुपये

वित्तीय संलेख

झारखंड के मंत्रियों का (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम–2001, में संशोधन कर मंत्रियों के भत्ते एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि का प्रावधान किया जा रहा है, इसके फलस्वरूप राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 15,00,000 (पन्द्रह लाख) रूपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, जिसपर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

(स्टीफन मरांडी)
भार साधक सदस्य

उद्देश्य एवं हेतु

संसदीय प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था में विभिन्न विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जनप्रतिनिधियों की भी सीधी भागीदारी पहले से अधिक हो गयी है। संसदीय व्यवस्था के बढ़ते दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन में मंत्रियों को भी विभिन्न स्तरों पर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों के भत्तों एवं अन्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करना आवश्यक प्रतीत होता है, जो इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसको अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है ।

(स्टीफन मरांडी)
भार साधक सदस्य